

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 554/2025 (मुक्तकिल प्रार्थना पत्र )  
सोहन लाल पुत्र स्व. श्री बजरंग लाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला  
जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. जगदीश नारायण पुत्र श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम गंवार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण



मुक्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-54, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या ...../2025 ब-उनवानी सोहनलाल बनाम जगदीश को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री विशाल जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश मीरवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 03.11.2025

1. संक्षेप में मुक्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या ...../2025 ब-उनवानी सोहनलाल बनाम जगदीश विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुक्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री राजेश मीरवाल अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण बाबत विरासत नामान्तरण का विचाराधीन है। दिनांक 22.05.2025 को प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो आपत्ति प्रार्थना पत्र बाबत हल्का पटवारियों के द्वारा दी गई रिपोर्ट को खारिज फरमाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आदिनांक तक भी पीठासीन अधिकारी ने किसी प्रकार का आदेश/निर्णय पारित नहीं किया गया है, ऐसी अवस्था में प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र अनिर्णीत है। दिनांक 23.07.2025 को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की आदेशिका में अंकित किया कि पक्षकार कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करना चाहते हैं। पत्रावली वास्ते

जिला कलेक्टर  
जयपुर

बहुस आगाभी तारीख पेशी दिनांक 28.7.2025 को पेश हो। पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधायकीन प्रकरण की कार्यवाही प्रक्रियात्मक कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को ऐलानिया कहा कि पीठासीन अधिकारी को भेने अपने धनबल व भारी पहचान से अपने हक में नामान्तकरण स्वीकृत करवाउंगा। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुत्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुत्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुत्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुत्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौरान सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुत्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुत्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।


कलकत्ता न्यायिक न्यायालय  
जिला जयपुर

न्यायिक न्यायालय  
जिला जयपुर

आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कलकत्ता न्यायिक न्यायालय  
जिला जयपुर

आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

()  
(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर